न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 48/2009 दायर दिनाँक 30.06.2009

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मदनाराम पुत्र धालाराम 2. श्रवणराम पुत्र गोरधन (फौत) 2/1 रामदेवराम पुत्र श्रवणराम 2/2 पन्नी देवी पुत्री श्रवणराम 2/3 छोटूडी पत्नी श्रवणराम 3. लखुराम पुत्र लादुराम 4. सुगनाराम पुत्र किशोर समस्त जाति नायक निवासी कोलिया तहसील— डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भोलुराम पुत्र बेगाराम (फौत) 1/1 रूपाराम पुत्र भोलुराम 1/2 अनाराम पुत्र भोलुराम 1/3 भोमाराम पुत्र भोलुराम 1/4 हीराराम पुत्र भोलुराम 1/5 फुलादेवी पत्नी भोलुराम 1/6 रामी पुत्री भोलुराम 1/7 लिछमा पुत्री भोलुराम 1/8 पूर्णी पुत्री भोलुराम 2. चेलाराम पुत्र बेगाराम 3. मोहनराम पुत्र बेगाराम 4. दीपाराम पुत्र किशनाराम 5. आसूराम पुत्र किशनाराम 6. कमलादेवी पत्नी मगाराम 7. दानाराम मगाराम 8. रेखाराम पुत्र मगाराम नाबालिंग जरिये कुदरती वलिया माता कमलादेवी 9. मूलचन्द पुत्र मगाराम नाबालिंग जरिये कुदरती माता कमलादेवी समस्त जाति मेघवाल (भांबी) निवासीगण कापडोद की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 10. तहसीलदार डीडवाना। 11. मैनेजर एस0बी0बी0जे0 कोलिया

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री रघुवीरसिंह वकील वादीगण।
2. श्री ओमप्रकाश मोठ वकील प्रतिवादीगण।

—:: **निर्णय** ::—

दिनाँक **13.08.2021**

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:26 IST
Reason: SelfAttested

वाद के तथ्य संक्षेप्त [illegible] कापडोद की सरहद में खेत साबिक खसरा सं0 73 रकबा 60.02 [illegible] सं0 81 रकबा 85.17 बीघा, खातेदारी की जमीन [illegible] कालू निवासी कोलिया का हिस्सा 1/2 [illegible] 1/2 हिस्से की भाम्बी निवासी डीडवाना की थी। वादीगण का पूर्व बीजा [illegible] अपने 1/2 हिस्से की [illegible] करियास जाने वाले जमीन अलग—अलग काश्ता करता था। जो कोलिया से [illegible] करियास जाने वाले कटाणी रास्ते के चिपते ही पूर्व दिशा व पश्चिम में थी तथा प्रतिवादीगणका

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पूर्वज गुला मेघवाल अपने 1/2 हिस्से की जमीन अलग काश्त करताथा। जो वादीगण के पूर्व बींजा के बंट के खेत से पूर्व दिशा में थी तथा है।

पुराना खसरा सं0 73 रकबा 60.02 बीघा के नये खसरा सं0 258 रकबा 03 बीघा, 263 रकबा 58.18 बिस्वा, खसरा सं0 33 रकबा 18 बिस्वा तथा खसरा सं0 271 रकबा 12.03 बीघा कुल रकबा 107.19 बीघा बने। इसी प्रकार पुराने खसरा सं. 81 रकबा 85.17 बीघा के नये खसरा सं0 284 रकबा 5 बिस्वा, खसरा सं0 285 रकबा 6 बिस्वा, 286 रकबा 14 बिस्वा, खसरा सं0 287 रकबा 60.05 बीघा, खसरा सं0 296 रकबा 01 बीघा व खसरा सं0 297 रकबा 11 बिस्वा कुल रकबा 63.11 बीघा बने। वादीगण व प्रतिवादीगण की वंशावली वाद के साथ पेश है।

सेटलमेन्ट विभाग वालों ने खसरा सं0 258, 263, 270, 271 का एक पर्चा लगान वादीगण व प्रतिवादीगण के सामिल में जारी कर दिया तथा खसरा सं0 284 व 285 रकबा 63 बीघा 01 बिस्वा के साथ खसरा सं0 276, 286, 287, 296, 297 का रकबा 23.15 बिस्वा का रकबा शामिल करते हुए दुसरी पर्चा लगान प्रतिवादीगण अकेलों के नाम जारी कर दिया।

मौके कि वास्तविक स्थिति के अनुसार खसरा सं0 263, 270 की भूमि पर वादीगण काबिज है तथा खसरा सं0 270 में वादीगण का एक झुंपा व पानी का होद बना हुआ है। खसरा सं0 271, 284, 285, 286, 296, 297 व 276 की भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज है। वादीगण के पूर्व बींजा के नाम गिरदावरियां हुई है तथा बिगोडी भी उसने जमा करवाई है।

सेटलमेन्ट में नये खसरा सं0 276 रकबा 23.15 बीघा खसरा सं0 284 रकबा 05 बिस्वा, ख0सं0 285 रकबा 06 बिस्वा, खसरा सं0 286 रकबा 11 बिस्वा, खसरा सं0 287 रकबा 60.05 बीघा, खसरा सं0 296 रकबा 01 बीघा व खसरा सं0 297 रकबा 11 बिस्वा कुल रकबा 86.16 बीघा की खातेदारी अकेले गुला वल्द कालू भाम्बी सा0 डीडवाना के नाम दर्ज कर दी तथा खसरा सं0 270 रकबा 33.18 बीघा, खसरा सं0 271 रकबा 12.03 बीघा कुल रकबा 46.01 बीघा व खसरा सं0 285 रकबा 03 बीघा, खसरा सं0 263 रकबा 58.18 बीघा खाता संख्या 95 व 96 की खातेदारी अकेले बींजा पुत्र कुशला नायक के नाम दर्ज करने के बजाय 1/2 हिस्सा गुला पुत्र कालु भाम्बी निवासी डीडवाना का नाम दोनों खेतों में और दर्ज कर दिया।

संवत 2006 में ही बींजा नायक व गुल्ला भाम्बी अपनी–अपनी जमीन पर अलग–अलग काश्त करते रहे है। गिरदावरी भी उनके नाम से अलग हुई है। परन्तु राजस्व अधिकारियों ने रिसेटलमेन्ट के दौरान खसरा सं0 270, 271 व खसरा सं0 258, 263 की भूमि की खातेदारी में 1/2 हिस्सा में गुला पुत्र कालु भाम्बी निवासी डीडवाना का गलत नाम लिख देने से वादीगणके जायज अधिकार खतरे में पडे गये है तथा प्रतिवादीगण जो गुला के वारिसान है के मन में लालच आ गया है वे वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा सं0 270, 263 वाके सरहद कापडोद में जान बुझ कर बिना किसी अधिकार के खातेदारी में गलत नाम दर्ज हो जाने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त को चुनौ[illegible] है। अतः वादीगण को यह दावा घोषणा खातेदारी का करना [illegible] है।

यह है कि मामला अर्जेन्ट [illegible] वादीगण उनके परिवार का जीवन निर्वाह केवल काश्त पर ही [illegible] उक्त खसरा सं0 270 व 263 वाके को प्रतिवादीगण कानून को हाथ में लेकर उक्त खसरा सं0 270 व 263 वाके सरहद कापडोद से बेदखल कर देते है तो वादीगण [illegible] अधिकारों से वंचित रह जायेगें तथा वादीगण को अजहद नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नगदी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

संभव नहीं होगी। इसलिए वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादीगण है कि :—

मौजा कापडोद के खेत खसरा सं0 263 रकबा 58.18 बीघा व खसरा सं0 270 रकबा 33.18 बीघा की खातेदारी वादीगणके नाम घोषित कर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जावें तथा कापडोद की सरहद में स्थित साबिक खसरा सं0 73 रकबा 60.03 बीघा, खसरा सं0 81 रकबा 85.17 बीघा, खसरा सं0 84 रकबा 25.04 बीघा जिसके नये खसरा सं0 276, 284, 285, 286, 287, 296, 297 बने है व खसरा सं0 270, 271, 263, 258 बने है का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावें। वादीगण को खसरा सं0 263 व 270 बंट में दिया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्त श्री ओमप्रकाश मोठ के जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा सं0 73 जिसके नये खसरा सं0 258, 263, 270, 271 है। जिसमें से 1/2 प्रतिवादीगण का है एवं खसरा सं0 पुराने 81 जिसके नये नम्बर 276, 284, 285, 286, 287, 296, 297 है जो तो पूर्व से ही प्रतिवादीगण के नाम से है। उक्त खातेदारी में वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। खसरा सं0 263 व 270 की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामिल काश्त की है एवं खसरा सं0 270 में बना होद प्रतिवादी चेलाराम ने बनाया था बाकी खसरा सं0 276, 284 से 287 व 296, 297 पर तो वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण का ही हक अधिकार में है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में निम्न तनकीयात कायम की गईः—

1. आया कापड़ोद की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 263 रकबा 58.18 बीघा व खसरा नम्बर 270 रकबा 33.18 बीघा की खातेदारी वादीगण अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

   वादीगण,

2. आया वादीगण कापड़ोद की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 73 रकबा 60.03 बीघा, खसरा नम्बर 81 रकबा 85.17 बीघा, खसरा नम्बर 84 रकबा 25.04 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 276, 284, 285, 286, 287, 296 व 297 बने व खसरा नम्बर 270, 271, 263 व 258 बने हैं, का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के प्रतिवादीगण से करवाये जाने तथा वादीगण खसरा नम्बर 263, 270 को अपने बन्ट में लेने के अधिकारी हैं।

   वादीगण,

3. आया वादी, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करवाये जाने के अधिकारी हैं।

   वादीगण,

4. आया वादग्रस्त भूमि पैतृक नहीं है।

   प्रतिवादीगण,

5. आया वादीगण का वाद मियाद बाहर है।

   प्रतिवादीगण,

6. अनुतोष?

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

साक्ष्य वादी में वादी ने स्वयं पीडब्लयू–1 मदनाराम, अन्य गवाह पीडब्लयू–2 दुर्गालाल, पीडब्लयू–3 मनसुखराम, पीडब्लयू–4 नानुराम के शपथ पत्र पेश किये। साक्ष्य दस्तावेजात में वादी ने नजरी नक्शा प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सं0 2063 से 2066, प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत 2063 से 2066, प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत 2011 से 2014 व संवत 2023 से 2026 प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी में डीडब्ल्यू–1 दीपाराम, डीडब्ल्यू–2 आसुराम के शपथ पत्र पेश हुए। साक्ष्य दस्तावेजात में प्रदर्श–ए 1 जमाबन्दी संवत 2071–2074, प्रदर्श ए 2 जमाबन्दी सं0 2071–2074, प्रदर्श ए 3 राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय की प्रति प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया।

तनकीवार निर्णय :–

1. तनकी संख्या 01 :– आया कापड़ोद की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 263 रकबा 58.18 बीघा व खसरा नम्बर 270 रकबा 33.18 बीघा की खातेदारी वादीगण अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

   इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत 2011 से 2014 व 2023 से 2026 पेश किये। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य में पुराने खसरा सं0 73 व 81 में वादीगण के पूर्वज बींजा व प्रतिवादीगण के पूर्वज गुलाब का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्शाया गया है तथा प्रदर्श–2 में पुराने खसरा सं0 73 से नये बने खसरा सं0 258, 263, 27, 271 में तो वादी व प्रतिवादीगण दोनों का 1/2–1/2 हिस्सा दर्शाया है परन्तु प्रदर्श–3 में पुराने खसरा सं0 81 से बने नये खसरा सं0 284, 285, 286, 287, 296, 297 में प्रतिवादीगण का नाम तो आया है परन्तु वादीगण का नाम हटा दिया गया। साक्ष्यों से भी यही साबित होता है कि खसरा सं0 258, 263, 27, 271 पर वर्तमान में भी वादीगण का ही कब्जा काश्त है। अतः वादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में करने में साबित रह है। अतः तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. तनकी संख्या 02 :– आया वादीगण कापड़ोद की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 73 रकबा 60.03 बीघा, खसरा नम्बर 81 रकबा 85.17 बीघा, खसरा नम्बर 84 रकबा 25.04 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 276, 284, 285, 286, 287, 296 व 297 बने व खसरा नम्बर 270, 271, 263 व 258 बने हैं, का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के प्रतिवादीगण से करवाये जाने तथा वादीगण खसरा नम्बर 263, 270 को अपने बन्ट में लेने के अधिकारी हैं।

   इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर ही है। चुंकि तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतः वादीगण कापड़ोद की सरहद कापाडोद के खसरा सं0 258, 263, 27, 271 की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 02 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

3. तनकी संख्या 03 :– आया वादी, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करवा[illegible] अधिकारी हैं।

   इस तनकी को सा[illegible] भार वादीगण पर ही है। चुंकि तनकी [illegible] 01 व 02 [illegible]गण [illegible] पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अत[illegible] 03 वादी[illegible] पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध [illegible] की जाती है।

4. तनकी संख्या 04 :– आया वादग्रस्त भूमि पैतृक नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। [illegible] जब तनकी संख्या 01 से 03 वादीगण के पक्ष में साबित हो चुकी है। तो इस तनकी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

औचित्य नहीं होनें से तनकी संख्या 04 प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

5. तनकी संख्या 05 :– आया वादीगण का वाद मयाद बाहर है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। चुंकि जब तनकी संख्या 01 से 04 वादीगण के पक्ष में साबित हो चुकी है। तो इस तनकी का औचित्य नहीं होनें से तनकी संख्या 05 प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। उपरोक्त तनकीवार निर्णय अनुसार वादीगण अपने पक्ष में सभी तनकी साबित करने में सफल रहे है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वाके सरहद कापडोद के खसरा सं0 263 रकबा 58.18 बीघा, खसरा सं0 270 रकबा 33.18 बीघा का वादीगण को स्वंतत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाता है तथा खसरा सं0 258 रकबा 03 बीघा व खसरा सं0 271 रकबा 12.03 बीघा यथावत रखा जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड़ दुरूस्त हो डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S,
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **13.08..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 48/2009 दायर दिनाँक 30.09.2009

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मदनाराम पुत्र धालाराम 2. श्रवणराम पुत्र गोरधन (फौत) 2/1 रामदेवराम पुत्र श्रवणराम 2/2 पन्नी देवी पुत्री श्रवणराम 2/3 छोटूडी पत्नी श्रवणराम 3. लखुराम पुत्र लादुराम 4. सुगनाराम पुत्र किशोर समस्त जाति नायक निवासी कोलिया तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भोलुराम पुत्र बेगाराम (फौत) 1/1 रूपाराम पुत्र भोलुराम 1/2 अनाराम पुत्र भोलुराम 1/3 भोमाराम पुत्र भोलुराम 1/4 हीराराम पुत्र भोलुराम 1/5 फुलादेवी पत्नी भोलुराम 1/6 रामी पुत्री भोलुराम 1/7 लिछमा पुत्री भोलुराम 1/8 पूर्णी पुत्री भोलुराम 2. चेलाराम पुत्र बेगाराम 3. मोहनराम पुत्र बेगाराम 4. दीपाराम पुत्र किशनाराम 5. आसूराम पुत्र किशनाराम 6. कमलादेवी पत्नी मगाराम 7. दानाराम मगाराम 8. रेखाराम पुत्र मगाराम नाबालिंग जरिये कुदरती वलिया माता कमलादेवी 9. मूलचन्द पुत्र मगाराम नाबालिंग जरिये कुदरती माता कमलादेवी समस्त जाति मेघवाल (भांबी) निवासीगण कापडोद की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 10. तहसीलदार डीडवाना। 11. मैनेजर एस0बी0बी0जे0 कोलिया

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 13.08.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रघुवीरसिंह वकील वादीगण व श्री ओमप्रकाश मोठ वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व वाद स्वीकार कर वाके सरहद कापडोद के खसरा सं0 [illegible] बा 58.18 बीघा, खसरा सं0 270 रकबा 33.18 बीघा का वा[illegible] घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का नाम [illegible] जाता है तथा [illegible] सं0 258 रकबा 03 बीघा व खसरा सं0 271 रकबा 12.03 बीघा यथावत रखा [illegible] है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–............

........खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.08.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner